

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 198/2025

प्रदीप चौधरी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, अजमेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री के पी राज सिंह, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में मोटर व्हिकल इंस्पेक्टर के पद पर अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अलवर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 300 किमी दूर स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में अजमेर जिले में ही कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासम्भव एक ही स्थान पर अथवा आस-पास पदस्थापित रखा जाना होता है, परन्तु आलोच्य आदेश उक्त नीति के विरुद्ध पारित किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी के छोटे बच्चे हैं, जो

अजमेर जिले में ही अध्ययनरत है, ऐसे में अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण किए जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)